

३० अप्रैल २००२



न्यायालय उप जिलाधिकारी, किरावली / सहायक कलक्टर, प्रथम प्रेसी।
तहसील किरावली जिला आगरा।

वाद संख्या 6 / 2001 - 2002

योन्नद्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता निवासी 10 जवाहर नगर
बैदारी आगरा व हैसियत मेनेजिंग इंस्टी आनन्द स्वरूप स्कॉलरशिप इंस्टी
बैदारी आगरा।

बनाम

तरकार

अन्तर्गत धारा 143 जरीबी अधिक

मौजा स्नकता लूट मिशनल

प्रिया - ३००५

दाखिला दिनांक २६-०२-०२

प्रस्तुत वाद वादी श्री योन्नद्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री आनन्द स्वरूप
गुप्ता निवासी 10 जवाहर नगर बैदारी आगरा व हैसियत मेनेजिंग इंस्टी
आनन्द स्वरूप स्कॉलरशिप इंस्टी आगरा। ने प्रस्तुत किया है वादी ने
अपने दावा पत्र में कहा है कि इंस्टी के नाम से मौजा स्नकता तहसील किरावली
जिला आगरा में बाता संख्या 373 गाटा संख्या 14 रकवा ०.३८० हेठो
व १५/१७७७ हेठो व १६/०३५७ हेठोर कुल किता तीन कुल रकवा ३०.५१४
हेठोर लगानी ३५.७० पैसा का संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा अपनी इस
आराजी पर हैसियत मालिक काविज व दबील है। उक्त इंस्टी उक्त नम्बरा
न में निर्माण कार्य करा रहा है इसलिये उक्त नम्बरान छो आवादी धीर्घा
किया जाए।

वाद दर्ज रजिस्टर कर मैने स्वैम ने उक्त नम्बरान का स्थल निरी का
किया तथा पापा कि उक्त गाटाओ पर आनन्द इंजीनियरिंग कालेज की
विलेल निर्माणधीन है तथा वार्डी पाल बनी है तथा निर्माण कार्य का
रहा है जिससे उक्त आटाओ को आवादी धीर्घा किया जाना न्यायोचित
होगा। मैने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साद्यों का अध्ययन किया तथा
वादी के अधिकता की बहत सुनी ॥

आदेश

=====

अतः बाता संख्या 373 गाटा संख्या 14 रकवा ०.३८० हेठोर व
गाटा संख्या १५ रकवा २०.७७७ हेठोर व गाटा संख्या १६ रकवा ०.३५७ हेठो
कुल किता तीन कुल रकवा ३०.५१४ हेठोर को लगानी ३५.७० पैसा को
मौजा स्नकता को कृषि उद्यानकरण या पशुपालन जिसमें मत्त्य पालन और
कुलुट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजनो के प्रयोग के लिये प्रयोगापत
धीर्घा किया जाता है तथा उक्त रकवा की लगानी मालगुजारी रुपये ३५.७०
पैसा समाप्त की जाती है। आदेश की एक प्राप्ति जिला निर्बंधक आगरा व
तहसीलदार किरावली को राजस्व अधिकारी में अमल दरामद हेतु भेजी जाए।
इस न्यायालय की पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाविल दबतर की जाए।

राजेश कुमार।
सहायक कलक्टर, प्रथम प्रेसी।
उप जिलाधिकारी, किरावली

उक्त आदेश आज दिनांक 26-2-2002 को सुने न्यायालय में
दस्तावेजित, दिनांकित कर उद्धोषित किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

पुजस्व अधिकारी पाल कलेक्टर
आगरा

23-३-०२

राजेश कुमार।
सहायक कलक्टर, प्रथम प्रेसी।
उप जिलाधिकारी, किरावली
जिला आगरा।